बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–03 / स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)–07 / 2018– (3) / रा0, पटना–15, दिनांक–

समाहर्त्ता, समस्तीपुर के पत्रांक–224(मु0) / स्था0, दिनांक–18.09.2026 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रोसड़ा, समस्तीपुर का पद रिक्त होने के कारण अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रोसड़ा, समस्तीपुर का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रोसड़ा के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रोसड़ा, समस्तीपुर का राजस्व एवं न्यायालीय कार्य सहित सभी सन्निहित दायित्वों के निर्वहन हेतु शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /–
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)–07 / 2018– (3) / रा. पटना–15, दिनांक–

ई–मेल

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा / समाहर्त्ता, समस्तीपुर / सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)–07 / 2018– (3) / रा. पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / स्था0भू0सु0उ0स0(शक्ति)–07 / 2018– 1644 (3) / रा. पटना–15, दिनांक–16/10/26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

16.10.26
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।